प्रेस.विज्ञप्ति **दिनांक 31.08.2026**

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत लोक कल्याण मेला 1 से 30 सितंबर तक आयोजित

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ;पीएम स्वनिधिद्ध योजनांतर्गत शहर के पथ विक्रेताओं एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है। शासन के दिशा.निर्देशों एवं नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह के मार्गदर्शन में यह आयोजन निगम के सभी पांचों जोनों में किया जा रहा है।

लोक कल्याण मेले का आयोजन 01 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रातः 10:30 बजे से शाम 04:30 बजे तक किया जाएगा। जोनवार आयोजन की तिथियां इस प्रकार हैं। जोन क्रमांक 01 नेहरू नगर भिलाई दिनांक 01 एवं 02 सितंबर 2026, जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर भिलाई दिनांक 08 एवं 09 सितंबर 2026, जोन क्रमांक 03 मदर टेरेसा नगर भिलाई दिनांक 16 एवं 17 सितंबर 2026, जोन क्रमांक 04 शिवाजी नगर भिलाई दिनांक 22 एवं 23 सितंबर 2026, जोन क्रमांक 05 सेक्टर 06 भिलाई दिनांक 29 एवं 30 सितंबर 2026 तक लोक कल्याण मेले के माध्यम से पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उपलब्ध सूक्ष्म ऋण सुविधाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशनए डिजिटल भुगतान को बढावा देनेए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीयन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

मेले में विभिन्न शासकीय एवं अर्धशासकीय बैंकों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के ऋण आवेदनों में स्वीकृति एवं ऋण वितरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही हितग्राहियों को बैंकिंग एवं डिजिटल लेन.देन से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्रदान की जाएगी। निगम के नोडल अधिकारी सह कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह ने शहर के समस्त पथ विक्रेताओं, असंगठित श्रमिकों एवं पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित जोन में आयोजित होने वाले लोक कल्याण मेले में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ उठाएं। थ ही नागरिकों से आवश्यक दस्तावेजों जैसे बैंक पास बुकए आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं बैंक और आधार से लिंक मोबाईल नम्बर के साथ मेले में उपस्थित होने कहा गया है।

संलग्न.फोटो जनसम्पर्क अधिकारी